पत्रिका

हाईकोर्ट : 2001 में लगाई गई याचिकाएं खारिज

एमपी से लाई जा रही शराब पर लगेगा आयात शुल्क

बिलासपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट ने विदेशी शराब पर आयात शुल्क के लिए राज्य के आबकारी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब अलग इकाई है। ऐसे में वहां से कारोबार अंतरराज्यीय माना जाएगा, इस पर आयात शुल्क लिया जाना अनुचित नहीं है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2001 में लगाई गई दो याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है।

बिलासपुर के शराब कारोबारी ने आबकारी विभाग के नोटिस को चुनौती दी थी। वर्ष 2001 में लगाई गई याचिकाओं पर करीब 25 साल बाद फैसला आया है। शराब के कारोबार से जुड़े बिलासपुर के गोल्डी वाइन प्राइवेट लिमिटेड और सतविंदर सिंह भाटिया को सहायक आयुक्त (आबकारी) बिलासपुर ने 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक बाहर से मंगाई गई विदेशी शराब पर आयात शुल्क की मांग करते हुए नोटिस जारी किया था। दोनों ने इसे वर्ष 2001 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया था कि उन्हें पूर्व में एनओसी के आधार पर माल परिवहन की अनुमति दी गई थी, इसलिए अब आयात शुल्क नहीं मांगा जा सकता। यह भी कहा कि जिस अवधि में शराब का परिवहन किया गया, वह राज्य पुनर्गठन से पहले की है, और उस समय किसी अतिरिक्त शुल्क की बात नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर पिछली तारीख से शुल्क वसूला गया, तो उन्हें भारी नुकसान होगा।छत्तीसगढ़ बनने के बाद एमपी से अलग राज्य होने के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

05/08/2025 | Raipur City | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/